वित्तीय क्षमता का निर्माण*

के.सी. चक्रवर्ती

परिचय

कीनिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, प्रोफेसर एनजुगना एनडुंगु, कीनिया के पूंजी बाजार प्राधिकरण, बीमा विनियामक प्राधिकरण एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्राधिकरण, ओईसीडी/आईएनएफई, वर्ल्ड बैंक के मेरे सहकर्मियो, विशिष्ट अतिथियो, देवियो और सज्जनो! विश्व की भ्रमण राजधानी नैरोबी के रमणीय शहर में इस ओईसीडी-वर्ल्ड बैंक क्षेत्रीय प्रसार सम्मेलन में वित्तीय क्षमता निर्माण के विषय में उद्घाटन भाषण देने के लिए स्वयं को आपके बीच पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है।

2. यह कोलंबिया के कार्टजीना शहर में संपन्न कार्यक्रम के बाद रूस/वर्ल्ड बैंक/ओईसीडी की वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा ट्रस्ट फंड के परिणाम के प्रचार कार्यक्रम के क्रम में दूसरा सम्मेलन है; अगला कार्यक्रम भारत में मार्च 2013 के दौरान आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है। यह खुशी की बात है कि ओईसीडी/आईएनएफई द्वारा वित्तीय शिक्षा के मामले में नीति निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने हेतु किए गए प्रयासों को बड़े पैमाने पर, अर्थात् 90 से अधिक देशों की 200 से अधिक सार्वजनिक संस्थाओं की स्वीकृति मिल गई है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने के संबंध में जी20 नेताओं की मेक्सिको के लॉस केबॉस शहर में हुई बैठक में उनके द्वारा ओईसीडी/आईएनएफई के उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन किया जाना, वित्तीय शिक्षा के संबंध में की गई पहलों के लिए इन सिद्धांतों को न केवल वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार करता है बल्कि प्रमाणपूर्वक साबित भी करता है कि वित्तीय शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना विश्व के अधिकांश देशों में दीर्घ-कालिक नीतिगत प्राथमिकता बन गई है।

3. वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय क्षमता का निर्माण करना वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण तत्व है। जहां प्रत्येक देश को साक्षरता स्तर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी स्तर, अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण के स्तर इत्यादि जैसे स्थानीय कारकों/संकेतकों के आधार पर वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता के लिए अपना निजी मार्ग प्रशस्त करना होता है, वहीं आईएनएफई जैसे दक्ष निकाय विभिन्न देशों को अपने अनुभव के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार इससे व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र को समय एवं महत्त्वपूर्ण स्रोतों की बचत करने तथा अन्य देशों द्वारा की जा सकने वाली गलतियों से बचने में मदद मिलती है। ये वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने के लिए मानक साधन/बेंचमार्क तैयार करता है और इन राष्ट्रीय रणनीतियों को शुरू करने से संबंधित नीतिगत चर्चाओं के लिए रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार का सम्मेलन हम सब को एक-दूसरे से मिलने-जुलने, एक-दूसरे के देशों में हो रही घटनाओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने एवं एक-दूसरे के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मुझे यकीन है कि कीनिया द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए एम-पीईसीए मॉडल के जरिए किए गए अग्रणी प्रयासों से हमने सबक लिया होगा।

हमें वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता क्यों है?

4. इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, आज मैं वित्तीय साक्षरता को नीतिगत साधन के रूप में बढ़ावा देने की अनिवार्यता, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने में इसकी केन्द्रीयता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत में की गई पहलों के विषय में अपने दृष्टिकोण को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से 'वित्तीय समावेशन' का मतलब बता दूं। मुझे आईएनएफई के शोधकर्ताओं अटकिनसन और मेस्सी द्वारा दी गई परिभाषा उचित लगती है, जिनके अनुसार 'वित्तीय साक्षरता वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, दक्षता, प्रवृत्ति एवं व्यवहार का मिश्रण है जो दृढ़ वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है और अंततः व्यक्ति विशेष का वित्तीय रूप से कल्याण हो सके'। इस प्रकार वित्तीय रूप से साक्षर न होने पर व्यक्ति विशेष द्वारा खराब वित्तीय निर्णय लिए जाने का खतरा पैदा हो सकता है जिसका उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

5. वैश्विक वित्तीय संकट के कारणों का विश्लेषण कर रहे समीक्षकों के आलोचनीय वर्ग द्वारा इस संकट के पनपने के पीछे व्यापक रूप से फैली वित्तीय अनभिज्ञता को बुनियादी कारणों में से एक कारण माना गया है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका का मार्टगेज मार्केट, जहां संकट के बीज बोए गए थे, का निर्माण मोटे तौर

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा कीनिया के नैरोबी शहर में ओईसीडी- विश्व बैंक क्षेत्रीय प्रसार सम्मेलन में वित्तीय क्षमता निर्माण विषय पर 30 जनवरी 2013 को उद्घाटन भाषण। इस संबोधन को तैयार करने में श्री कुमार मिश्रा और श्री बिपिन नायर के सहयोग के लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

पर भोले-भाले ग्राहकों के बड़े समूह को बड़े पैमाने पर गृह ऋण की अनुचित बिक्री के आधार पर हुआ था, जिन्हें दर असल समायोजित दर मार्टगेज के मतलब, और दरों के उतार-चढ़ाव का उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, का कोई आभास नहीं था। वित्तीय अनभिज्ञता वास्तव में दूर-दूर तक फैली हुई है जिसके कारण सुविज्ञ निवेश बैंकर और बांड विक्रेताओं ने सुरक्षित एवं तथाकथित सीडीओ, सीडीओ-स्क्वायर्ड एवं सीडीओ-क्यूब्ड के 'ट्रिपल ए' सूपर-सीनियर हिस्सों में निवेश करने के जरिए बड़ा दांव लगाया है। वित्त संबंधी औपचारिक समझौतों से होने वाले जोखिमों को समझे बगैर इस प्रकार के संव्यवहार में शामिल होने वाले ग्राहकों को अंततः वित्तीय बाजार की अप्रत्याशित अस्थिरता का खामियाजा भुगतना पड़ता है जो तेजी से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलता है और इससे नौकरी में भारी कटौती होती है तथा इसका कुप्रभाव लंबे समय तक बना रहता है जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था अभी भी जूझ रही है।

6. उपर्युक्त गतिविधियों से दो बातें साफ़ होती हैं - पहली, वित्तीय अनभिज्ञता केवल समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग तक ही सीमित नहीं है और दूसरी, यह एक ऐसी समस्या है जो प्रगतिशील एवं विकसित राष्ट्र दोनों में समान रूप से व्याप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा खुदरा निवेशकों के बीच वित्तीय साक्षरता के मौजूदा स्तर का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमरीका में आयोजित हाल के अध्ययन से निकले परिणाम का हवाला देना चाहता हूँ (डॉड-फ्रैंक एक्ट द्वारा अधिदेश अध्ययन): 'अध्ययन के अनुसार प्राथमिक वित्तीय अवधारणाओं के संबंध में निवेशकों की पकड़ कमजोर है और उनमें निवेश संबंधी धोखाधड़ी से बचने के ज्ञान की कमी है'। वित्तीय संकट के कुप्रभाव के बाद वित्तीय शिक्षा दिए जाने एवं वित्तीय रूप से साक्षर जनसंख्या का निर्माण किए जाने की ओर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के नीति निर्माताओं का ध्यान बढ़ रहा है। आज यह, वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं, विभिन्न उत्पाद एवं सेवा वितरण चैनलों, बढ़ती ग्राहक सक्रियता और ग्राहक की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने के संबंध में अकेले विनियम की सीमित क्षमता के कारण अत्यावश्यक हो गया है।

वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता के बीच का संबंध

7. भारत में हम वित्तीय सामवेशन, ग्राहक सुरक्षा और अंततः वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता को महत्त्वपूर्ण सहायक के रूप में मानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को साथ-साथ चलना चाहिए जिससे आम आदमी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा पेश किए गए उत्पादों एवं सेवाओं की जरूरतों और लाभ के बारे में जान सके। हमने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार परिभाषित किया है - *'वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें विनियमित, मुख्यधारा की संस्थाओं द्वारा आम तौर पर समाज के सभी वर्गों एवं कमजोर समूह, जैसे कि पिछड़े वर्ग और खासकर निम्न आय समूहों, को आवश्यक समुचित वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं, उचित और पारदर्शी तरीके से, सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जानी सुनिश्चित की जाती है'*। इस प्रकार वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि इसमें अनिवार्य रूप से दो तत्व शामिल हैं, एक एक्सेस का और दूसरा साक्षरता का। वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन की पहलों के अंतर्गत पेश किए गए वित्तीय उत्पाद की मांग को बढ़ाने में मदद करता है। पिछले पांच वर्षों में वाणिज्य बैंकों द्वारा औपचारिक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के संबंध में की गई शुरुआत को लेकर हमारा अनुभव बतलाता है कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली के फैलाव में काफी विस्तार हुआ है फिर भी इसका अपेक्षित जनसंख्या के वित्त संबंधी व्यवहार पर अब तक कोई खास असर नहीं पड़ा है। नए रूप से खोले गए बैंक खातों में किए जा रहे अंतरण का स्तर अभी भी बहुत कम है और इससे वित्तीय समावेशन की हमारी पहलों की व्यवहार्यता एवं मापनीयता प्रभावित हुई है। अंतरण की इस कमी का कारण वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने से प्राप्त होने वाले लाभ की जानकारी में कमी होना है।

8. व्यक्ति विशेष की वित्तीय स्थिति राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है। अर्थव्यवस्था और हमारी वित्तीय संस्था तभी मजबूत होगी जब अधिक-से-अधिक लोगों के पास नौकरी होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी और संपत्ति का निर्माण होगा। नागरिकों को वित्तीय रूप से साक्षर न कर पाने के चलते आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया के कमजोर पड़ने की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध प्रिंसटन अर्थशास्त्री एवं फेडरल रिज़र्व बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री ऐलन ब्लाइंडर ने कहा है कि अशिक्षित नागरिकों के कारण नीति के संबंध में एकतरफा सोल्यूशन पनप सकता है और इस प्रकार के सोल्यूशन सामान्यतः उप-अनुकूलतम होते हैं। 'यह तथ्य कि हमारे देश के साथ-साथ पूरे विश्व में आर्थिक साक्षरता के बुनियादी स्तर का अत्यंत कम होना, राजनीतिक प्रक्रिया का इस समस्या के चपेट में बुरी तरह से आने का एक कारण है'।

9. खर्च करने के संबंध में आर्थिक रूप से मजबूत परिवार के आत्मविश्वास का स्तर अधिक होता है और वे खुलकर खर्च करने के अधिक इच्छुक होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए सहयोग मिलता है। वित्तीय रूप से साक्षर ग्राहकों द्वारा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने, बचत किए जाने, लघु कारोबार करने के लिए उद्यमी ऋण का उपयोग किए जाने और भिन्न-भिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग किए जाने से प्रणाली की क्षमता में वृद्धि होती है, शुल्क में कमी आती है, सेवाएं बेहतर होती हैं, एवं बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित एवं मजबूत होती है और इस प्रकार प्रणाली को कुल मिलाकर लाभ पहुँचता है ।

वित्तीय साक्षरता में बढ़ोतरी से परिवारों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है

10. व्यक्ति द्वारा आर्थिक रूप से साक्षर बनने का प्रयास क्यों किया जाना चाहिए इसका सबसे बुनियादी कारण है कि इससे उसे वित्त संबंधी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। व्यक्ति विशेष का लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो लेकिन वित्तीय साक्षरता से व्यक्ति का जीवन-स्तर बेहतर होता है और भविष्य को लेकर उसमें आत्मविश्वास जागता है। आर्थिक रूप से साक्षर व्यक्ति द्वारा वक्त से पहले मजबूत वित्तीय योजना बनाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति की योजना बनाने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रुपये का इंतजाम करने, एवं और संपत्ति बनाने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका लाभ अत्यधिक है।

लक्ष्य समूह कौन हैं और क्या संदेश दिया जाना है ?

11. प्रणाली में प्रत्येक को आर्थिक रूप से साक्षर होने की जरूरत है चाहे वह उपयोगकर्ता हो या वित्तीय उत्पाद/सेवा के प्रदाता हों। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोगकर्ताओं को वित्तीय रूप से वंचित संसाधनहीन व्यक्ति, निम्न एवं मध्यम आय समूह तथा उच्च मालियत व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में संसाधनहीन गरीबों को वित्तीय प्रणाली में भाग लेने से रोकने वाले अत्यधिक रूढ़ हो चुके स्वभाव संबंधी एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का समाधान किया जाना शामिल होगा। इस प्रयोजनार्थ वित्तीय साक्षरता के हमारे प्रयास देश भर में बृहद जागरुकता अभियान चलाने के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के सरल संदेश प्रचारित करने के साथ-साथ बैंक, बीमा एवं पेंशन फंड तथा अन्य द्वारा वित्तीय समावेशन योजना की जोरदार शुरुआत किए जाने की ओर अग्रसर है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना महत्त्वपूर्ण है कि वित्तीय रूप से साक्षर बनने के लिए पढ़ा-लिखा होना अनिवार्य शर्त नहीं है क्योंकि वित्त संबंधी बुनियादी संदेश को लिखित सामग्रियों पर निर्भर हुए बिना विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से सूचित किया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता के हमारे प्रयासों के जरिए हमारे द्वारा पहुँचाए जाने वाले कतिपय बुनियादी संदेश इस प्रकार हैं:

- बचत क्यों?
- बचत नियमित रूप से एवं लगातार क्यों की जाए?
- बचत बैंकों में क्यों की जाए?
- क्यों सीमा के अंदर उधार लिया जाए?
- क्यों बैंकों से उधार लिया जाए?
- क्यों आय सृजन के प्रयोजन से उधार लिया जाए?
- क्यों ऋण की चुकौती की जाए?
- क्यों समय पर ऋण की चुकौती की जाए?
- क्यों आपको बीमा की जरूरत है?
- क्यों आपको सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए नियमित आय-पेंशन की जरूरत पड़ेगी?
- क्यों आपके द्वारा बुढ़ापे में पेंशन पाने के लिए नियमित रूप से एवं लगातार अपने कमाई काल के रुपए की अलग से बचत की जानी चाहिए?
- ब्याज क्या है? किस प्रकार साहूकार अत्यधिक ब्याज लेता है?
- रुपया और ऋण के बीच क्या अंतर है?

12. वित्तीय साक्षरता के प्रयासों के प्रभाव को बेहतर करने में आ रही प्राथमिक चुनौतियों में से एक है - जनता, विशेषकर अनपढ़ जनसंख्या, तक पहुँचाए जा रहे बुनियादी संदेशों का मानकीकरण सुनिश्चित किया जाना। इससे लक्षित लोगों तक विभिन्न स्रोतों के जरिए संदेश को पहुँचाने के संबंध में स्थिरता लाया जाना सुनिश्चित करने और इस संदेश को अधिक एकाग्रचित्त एवं उपयोगी बनाने में मदद मिलेगी।

13. जहां वित्तीय सेवा/उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है वहीं वित्तीय सेवा

के प्रदाताओं को अवश्य रूप से पढ़ा-लिखा होना चाहिए। बैंक, वित्तीय संस्थाएं एवं बाजार के अन्य संचालकों को भी अपने जोखिम एवं लाभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक बैंक को अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों एवं बाजार की अपेक्षाओं की समझ होने की जरूरत है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनका कारोबार बना रहने के लिए उनके ग्राहकों का अस्तित्व में होना आवश्यक है और उसके लिए उन्हें स्वयं उत्पाद की उपयुक्तता को समझने की जरूरत है जिससे कि वे अपने ग्राहकों को उत्पाद संबंधी जानकारी दे सके। इस परिदृश्य में वित्तीय उत्पाद/सेवाओं के संबंध में शिक्षित वर्ग एवं नीति निर्माताओं में भी अनभिज्ञता का स्तर अत्यधिक होने के कारण निम्नलिखित मूल उपायों/ अवधारणाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किए जाने की जरूरत है:

- रुपया और ऋण के बीच का अंतर;
- खर्च और निवेश के बीच का अंतर;
- लाभकर प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने के लिए ऋण की आवश्यकता और वित्तीय समावेशन के प्रारंभिक चरण पर उपभोग किए जाने के लिए नहीं;
- लाभ अधिक होने पर जोखिम भी अधिक माना जाता है (जोखिम-प्रतिलाभ समझौताकारी समन्वयन);
- परिवर्तन की स्थिति में:
    - o वित्तीय वंचन
    - o रुपया (आर्थिक सहायता, धर्मार्थ, वेतन, रोजगार, बचत)
    - o लाभकर ऋण (आय सृजन)
    - o उपभोग ऋण (सहज आय एवं आस्ति अधिग्रहण)
    - o जोखिम ऋण
- उपर्युक्त परिवर्तनकाल के प्रत्येक चरण से संबद्ध जोखिम-प्रतिलाभ समझौताकारी समन्वयन को समझना।

यदि हम उपरोक्त मामलों के संबंध में समूचे भूगोल के नीति निर्माताओं एवं वित्तीय बाजार के संचालकों सहित समाज के समूचे विभिन्न समूहों में पर्याप्त मूल्यांकन एवं शिक्षा विकसित कर पाते हैं तो विश्व के वित्त बाजार एवं जनता पर वित्तीय संकट का प्रभाव अत्यधिक कम हो जाएगा, जिससे आज हम जूझ रहे हैं। यही समाज में वित्तीय क्षमता के निर्माण का अंतिम ध्येय है।

14. वित्तीय सेवा के प्रदाताओं का वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता के फैलाव में निहित हित है क्योंकि इससे उन्हें अपने कारोबार को जनसंख्या के नव समूहों में फैलाने में मदद मिलेगी। वैश्विक तौर पर यह पाया गया है कि वाणिज्य, अमीरों की तुलना में गरीबों के लिए अधिक व्यवहार्य है। वित्तीय समावेशन के प्रयासों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता दीर्घकालिक सुस्थिरता एवं इस कारोबार की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। यह तभी संभव है जब ग्राहकों को ऋण उत्पाद, विप्रेषण सेवा एवं जमा उत्पाद समेत उत्पादों का समूचा समूह उपलब्ध कराया जाएगा। व्यवहार्य बिजनेस मॉडल के रूप में वित्तीय समावेशन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं की असफलता इन वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं में बुनियादी वित्तीय साक्षरता की कमी दर्शाती है।

भारत का संस्थागत ढांचा

15. वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रक्रिया के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय साक्षरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की व्यवस्था की गई है जिन्हें इसके साथ-साथ वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता के प्रयासों का दायित्व भी सौंपा गया है। वित्त क्षेत्र के समस्त विनियामक प्राधिकारी के प्रमुख, एफएसडीसी के सदस्य हैं। एफएसडीसी द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए उप-समिति गठित की गई है।

16. एफएसडीसी उप-समिति द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता रणनीति दस्तावेज तैयार करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व लिया गया है:

i. वित्तीय सेवाओं की सुलभता, विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता एवं उनकी विशेषताओं के बारे में जागरुकता लाया जाए तथा उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जाए।

ii. नजरिए को बदला जाए जिससे ज्ञान, व्यवहार में परिणत हो सके।

iii. वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं को उनके अधिकार एवं दायित्व से अवगत कराया जाए।

वित्तीय साक्षरता - आदर्श रूप में इसकी शुरुआत पहले पाठशाला में की जाए लेकिन वयस्कों को वंचित न रखा जाए

17. यह भली-भांति स्वीकार किया गया है कि वित्तीय साक्षरता को प्रभावशाली बनाने के लिए आदर्श रूप में पाठशाला स्तर पर इसकी पहल की जानी चाहिए। पाठशाला स्तर पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय शिक्षा के माध्यम से बुनियादी अवधारणाओं की शिक्षा दी जाएगी ताकि दृढ़ नींव डाली जा सके। इस प्रकार की सैद्धांतिक समझ के लिए आधार कार्य औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था में बेहतर ढंग से दिया गया है। पाठशाला में वित्तीय शिक्षा दिए जाने का महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि इससे समाज पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वित्तीय रूप से साक्षर विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण में वित्तीय शिक्षा के प्रसार में राजदूत की भूमिका अदा करने में सक्षम होगा। इसलिए हम भारत में इस प्रकार की अवधारणाओं को पाठशाला के पाठ्यक्रम में शामिल एवं अंत:स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जैसे पाठ्यक्रम निर्धारणकर्ता निकाय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जैसे शिक्षा बोर्ड, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

18. हमारी राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य 500 मिलियन वयस्कों के साथ प्रारंभिक संपर्क स्थापित करना, उन्हें मूल बचत, सुरक्षा एवं निवेश संबंधी उत्पादों की शिक्षा देना भी है जिससे कि वे विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के योग्य बन सकें। यह देश में उपलब्ध ग्राहक सुरक्षा एवं शिकायत निवारण व्यवस्था के संबंध में जागरुकता भी पैदा करता है।

वित्तीय साक्षरता के चैनल

19. विविध संस्कृतियों एवं बाजार के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम भिन्न-भिन्न आय समूहों के वित्त एवं शिक्षा के विभिन्न स्तरों को वित्तीय साक्षरता के दायरे में लाने के लिए मल्टी-चैनल दृष्टिकोण अपना रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर आम आदमी के लिए वित्तीय शिक्षा के विषय में लिंक दिया गया है जिसमें 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराई गई है जिसमें बच्चों के लिए रुपया एवं बैंकिंग पर हास्य किताबें, पहेलियां, प्रतियोगिताएं इत्यादि दी गई हैं। रिज़र्व बैंक के शीर्ष कार्यपालक, वित्तीय जागरुकता एवं साक्षरता के संदेश का प्रचार करने हेतु दूरदराज के गांवों में नियमित आधार पर लोकसंपर्क दौरा कर रहे हैं। शोध छात्र योजना प्रारंभ की गई है जिसके माध्यम से देशभर में प्रत्येक वर्ष लगभग 150 स्नातक प्राप्त छात्र चुने जाते हैं जिनके लिए रिज़र्व बैंक के भिन्न-भिन्न कार्यालयों में ग्रीष्म इंटर्नशिप की व्यवस्था कराई गई है और उनसे बैंक के कार्यकरण से संगत लघु प्रॉजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शोध छात्रों को अपने क्षेत्रों के कतिपय पाठशालाओं का दौरा करना होता है और पाठशाला के विद्यार्थियों को अपने प्रॉजेक्ट के बारे में बताना होता है ताकि पाठशाला के छात्रों में रिज़र्व बैंक के कार्यकरण के संबंध में व्यापक स्तर पर जगरुकता पैदा किया जा सके। टाउन हॉल बैठकों के अलावा प्रेस द्वारा आयोजित सूचना/साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेना, नाटक और प्रहसन खेलना, स्थानीय मेलों/प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाना इत्यादि इस उद्देश्य की दिशा में कुछ अन्य पहल हैं। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के इतिहास और भूमिका के बारे में, बैंकिंग और वित्त, अन्य बैंकिंग संस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, सामयिकी, शख्सियत तथा भारत की संवृद्धि एवं प्रगति में कई सालों से सहायक गतिविधियों के बारे में जागरुकता एवं रुचि पैदा करने और रिज़र्व बैंक तथा देश भर में पाठशाला जा रहे युवा छात्र समुदाय के बीच संबंध स्थापित कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पाठशाला-स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिए जाने के लिए अखिल भारतीय आरबीआई अंतर-स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है।

इस पहल में कौन-कौन सहयोग दे रहा है?

20. भारत में वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार में केंद्र और राज्य सरकार, वित्तीय विनियामक एवं खिलाड़ी, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविद् तथा अन्य सहित बड़ी संख्या में हितधारक शामिल हैं। चूंकि हमने वित्तीय सामवेशन के लिए बैंक संचालित मॉडल अपनाया है इसलिए बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलने के जरिए जनता को विभिन्न जमाओं, ऋण एवं विप्रेषण उत्पादों की उपलब्धता के संबंध में शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करने तथा इन उत्पादों की मांग पैदा करने और साथ ही वित्तीय सामवेशन प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता की हमारी पहलों में सक्रियता से सहयोग दे रहा है। 30 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार भारत में इस प्रकार के 575 एफएलसी कार्य कर रहे हैं।

साक्षरता के जरिए उपभोक्ता सुरक्षा

21. शिकायत निवारण तंत्र वित्तीय सेवाओं के सभी उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय साक्षरता का महत्त्वपूर्ण तत्व है जिसका एक्सेस

वे वित्तीय सेवा के प्रदाताओं के विरुद्ध की गई शिकायतों या उनके द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामले में कर सकते हैं। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता अनिवार्य है क्योंकि इसकी गैरमौजूदगी में वित्तीय प्रणाली में विश्वास में कमी आ सकती है जिसके चलते लोगों में इसके प्रति पलायन की संभावना बनती है। यह वित्तीय समावेशन की पहलों में बड़ी बाधा का कारण बन सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायतों का सस्ती दर पर व त्वरित निवारण करने के लिए अपने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग लोकपाल स्थापित किया गया है। अन्य विनियामकों ने भी अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लोकपाल स्थापित किया है। तथापि, बैंक/वित्त संस्थाओं को समझना चाहिए कि संस्था स्तर पर बेहतर ग्राहक जागरुकता/सेवा एवं प्रभावकारी शिकायत निवारण तंत्र के होने से लोकपाल में आने वाली शिकायतों की संख्या काफी घट सकती है।

22. व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय साक्षरता के प्रत्यक्ष लाभ के अतिरिक्त इसका बड़ा समष्टिआर्थिक लाभ भी है। यदि हम वित्तीय रूप से वंचित जनसंख्या को बैंकिंग सेवा की परिधि के अंतर्गत ला सकते हैं तो हम परिवार की बचत एवं समग्र देशी बचत में और इजाफा कर सकते हैं और इस प्रकार दो अंकों की वृद्धि करने की अनिवार्य शर्तों में से एक को पूरा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

23. मुझे ओईसीडी/आईएनएफई, विश्व बैंक एवं उन सभी को अवश्य रूप से बधाई देनी चाहिए जिन्होंने वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में अपने विविध प्रकाशनों एवं उनके द्वारा किए गए अध्ययन और शोध कार्य के जरिए हमें विभिन्न देशों में वित्तीय शिक्षा के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक इनपुट्स का तैयार एवं सही मिश्रण उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए, भारत में निम्न आय वाली, कम पढ़ी-लिखी जनसंख्या का बड़ा समूह गतिशील एवं अति उत्साहपूर्ण मध्यम वर्ग और विश्व स्तर पर उन्मुख पेशेवरों तथा कारोबारियों के साथ एक ही समाज में रहते हैं। जब हम वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाने बैठे तब हमें वास्तव में तीनों बड़े समूहों के लिए योजना बनानी पड़ी। आईएनएफई के मानक दिशानिर्देश काफी उपयोगी रहे और भारत जैसे सदृश स्थिति वाले देशों जैसे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय रणनीतियां भी इसी प्रकार थीं। हमने जो राष्ट्रीय रणनीति बनाई है उसकी भावना भारतीय है किंतु उसकी विषयवस्तु वैश्विक मानकों के अनुसार है। आईएनएफई दस्तावेज एक अन्य रूप में भी उपयोगी है अर्थात् हमारी रणनीति को बहुसंख्यक हतिधारकों में स्वीकार्य बनाना।

24. मैं जानता हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ कीनिया सरकार के मंत्रालयों, वित्त क्षेत्र सघनीकरण (एफएसडी) ट्रस्ट, एनजीओ, वित्तीय संस्था एवं अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित विविध हितधारकों के साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा के लिए अपनी निजी राष्ट्रीय रणनीति बनाने में लगे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वित्तीय शिक्षा अभियान चलाने एवं पाठशालाओं के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम तैयार करने में अन्य विनियामक निकाय/एजेंसी भी लगे हुए हैं। मैं उनके इन प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

25. लक्ष्य की गंभीरता को देखते हुए वित्तीय शिक्षा के प्रसार एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं लेकिन अभी भी बहुत काम किये जाने हैं। इस संदर्भ में मैं हितधारकों के साथ एकजुट होकर काम किए जाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूँ। तथापि 'घोड़ा और गाड़ी' कहावत की तरह वित्तीय क्षमता को बेहतर करने एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के प्रयासों को एकसाथ जारी रखा जाना चाहिए जिससे वित्तीय साक्षरता का लक्ष्य बड़ी सरलता एवं सफलता के साथ हासिल किया जा सकता है।

26. अंततः मैं ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक एवं सम्मेलन के अन्य आयोजकों को वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में उनकी सतत प्रतिबद्धता और भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक के लोगों का विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम एक-दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही हमारे लिए सबसे अनुकूल समाधान तैयार करने में मदद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से वित्तीय साक्षरता सब जगह एवं सभी तक पहुँचेगी, आम आदमी सुविज्ञ वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होगा और इस प्रक्रिया में वैश्विक वित्त बाजार में अधिक स्थिरता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद !